

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

कैलाश कुमार पुत्र बाबुलालजी, जाति-पुरोहित, निवासी-सिलदर, तह0 व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. पीताराम पुत्र चेनाराम जी, जाति- भील, निवासी- रोडाखेडा, तह0 व जिला सिरोही
2. ग्राम पंचायत, सिलदर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, सिलदर, तह0 व जिला-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 08 / 2023

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कलीम अब्बल, अप्रार्थी संख्या: 2 (दो) की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 04 फरवरी, 2026

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा पारित संकल्प संख्या 04 दिनांक 20-12-2018 एवं इस संकल्प के अनुसरण में अप्रार्थी पीताराम पुत्र चेनाराम जी भील, निवासी- रोडाखेडा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत क्षेत्रफल 150 वर्गफीट भूखण्ड का जारी पट्टा विलेख संख्या 49 दिनांक 05-12-2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया गया है।
- (2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अब्बल उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) पीताराम को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही अप्रार्थी संख्या 1 (एक) पीताराम की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के विरुद्ध के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से भी जबाव प्रस्तुत नहीं हुआ।
- (3) प्रकरण में प्रार्थी के वकील व अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के वकील की दिनांक 03-02-2026 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के नाम से पट्टा संख्या 49 (मिसल संख्या 16 दायर दिनांक 06-9-2018 बुक नम्बर 99) दिनांक 05-12-2019 को जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध व गलत तरीके से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में जारी उक्त पट्टे की चतुर्दशी, उत्तर दिशा में दीपाराम पुत्र रावताराम भील, दक्षिण में बाबुलाल पुत्र हिमाजी भील, पूर्व दिशा में सिलदर-मेरमाण्डवाडा सड़क व पश्चिम दिशा में पानी निकासी का नाला है तथा नाप उत्तर-दक्षिण 15 फीट व पूर्व-पश्चिम 10 फीट कुल क्षेत्रफल 150 वर्गफीट है। राजस्व ग्राम सिलदर में खसरा संख्या 1206 राजस्व रिकॉर्ड व मौके अनुसार सिलदर मेरमाण्डवाडा मुख्य सड़क हैं जो वर्तमान में मौके पर डामर रोड़ है तथा खसरा संख्या 1014 गांव के पानी की निकासी का मुख्य नाला हैं एवं इन खसरा संख्या 1206 व 1014 के बीच में खसरा संख्या 1013 आबादी भूमि की स्ट्रीप आई हुई हैं। इस खसरा संख्या 1013 आबादी भूमि की चौड़ाई राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 5 फिट से लेकर 25 फिट के बीच में हैं एवं यह आबादी भूमि सिलदर मेरमाण्डवाडा मुख्य सड़क व नाले के बीच की भूमि है जो कि रोड़ सीमा व नाले की सीमा में होने के कारण इस खसरा संख्या 1013 की भूमि का कभी भी आबादी भूमि के रूप में उपयोग नहीं हुआ है एवं उक्त भूमि सदैव मौके पर सड़क सीमा व



Juliaपेज दो पर
अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

नाले के रूप में ही उपयोग उपभोग में आती रही है एवं वर्तमान में यह भूमि मौके पर सड़क व नाले में समायोजित हो चुकी है। बावजूद इसके ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को जारी किया गया है, जो माननीय राजस्थान न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार के मामलें में पारित आदेश की अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को जिस भूमि का पट्टा जारी किया है उक्त भूमि खसरा संख्या 1206 के रूप में स्थित सड़क के मध्य से केवल 18 फीट की दूरी पर है एवं खसरा संख्या 1014 में स्थित नाले से बिल्कुल सटी हुई है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 के उप नियम 2 अनुसार गांव की सड़कों के मध्य रेखा से 50 फीट की दूरी तक की भूमि विक्रय व पक्के निर्माण के लिए प्रतिबंधित हैं अर्थात् गांव की सड़क के मध्य से 50 फीट के मध्य स्थित भूमि का न तो ग्राम पंचायत पट्टा जारी किया जा सकता है और न ही इस क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य हेतु निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकती है। बावजूद इसके ग्राम पंचायत, सिलदर के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने अवैध लाभ प्राप्त कर उक्त नियम 161 के विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर उक्त पट्टा जारी किया है और अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से अवैध लाभ प्राप्त कर ग्राम पंचायत ने निर्माण स्वीकृति भी जारी की थी जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण उक्त पट्टा खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा उक्त भूमि का पट्टा, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को बाजार दर से जारी किया है, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 141 के तहत भूमि का विक्रय नीलामी के जरिये किया जाना आज्ञापक है। उक्त भूमि पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 (एक) का कब्जा या स्वामित्व नहीं रहा है व न ही अतिक्रमण रहा है। उक्त भूमि खांचा-भू पट्टी की श्रेणी में नहीं आती है। अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ग्राम सिलदर का निवासी नहीं होकर ग्राम रोडाखेडा का निवासी है, जिससे ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा नियम 156 में प्रदत्त प्रावधान के जरिये इस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं थी। ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर व प्रतिबंधित भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को जारी किया है, जो पट्टे में अंकित क्षेत्रफल अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जारी किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है, जबकि वाणिज्यिक भूमि के मामलें में प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि जमा करवाना कानूनन आवश्यक है, लेकिन ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को बाजार दर से भी कम राशि पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किया जाना पट्टे के अवलोकन मात्र से ही जाहिर हो रहा है। ग्राम पंचायत, सिलदर ने अवैध प्रक्रिया के जरिये गुपचुप तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के साथ मिलीभगत कर उक्त पट्टा जारी करने बाद अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने मौके पर सड़क सीमा व नाला की भूमि पर जेसीबी के जरिये रात्रि में सफाई करवाकर निर्माण कार्य शुरू करवाने की कोशिश करने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 22-07-2020 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही ने सहायक विकास अधिकारी के जरिये प्रारम्भिक जाँच व मौका रिपोर्ट करवाई, जिसमें प्रथम दृष्टया ही पट्टे की भूमि को सड़क सीमा में मानकर, दिनांक 28-7-2020 को अप्रार्थी संख्या 1 (एक) द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया एवं बाद में जब मौके पर जाकर जाँच की गई तब अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने इस अवैध पट्टे की आड में मौके पर लगभग 400 वर्गफीट की भूमि पर नीव भरकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था। इस प्रकार, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही द्वारा भी इस पट्टे की भूमि को सड़क सीमा की भूमि मानकर स्थगन आदेश जारी किया है। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को जारी किये गये उक्त पट्टे को देखन मात्र से स्पष्ट हो रहा है कि इस पट्टे को जारी करने का संकल्प दिनांक 20-12-2018 को पारित किया था परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को पट्टा इस संकल्प को पारित करने के लगभग 01 साल बाद दिनांक 05-12-2019 को जारी किया है क्योंकि तत्कालीन सरांच और ग्राम विकास अधिकारी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)



द्वारा पुरानी बैठक रजिस्ट्रों में बैक डेट में प्रस्ताव लेकर संकल्प पारित किया है, अन्यथा संकल्प पारित करने के पश्चात् 01 साल तक पट्टा जारी नहीं करने का ग्राम पंचायत के पास कोई माकुल व युक्तियुक्त कारण नहीं रहा है तथा राजस्थान पंचायती राज नियम व अधिनियम के अनुसार भी संकल्प पारित होने के तुरन्त बाद पट्टा जारी किया जाना विधि में आज्ञापक है। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को जो पट्टा जारी किया है उस पर न तो तत्कालीन सरपंच और न ही तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी की मोहर लगी हुई है एवं न ही उस पर क्रेता के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को जारी पट्टे में भी छेड़छाड़ की हुई है उक्त पट्टा पूर्व में किसी और के नाम से जारी किया हुआ है जिस पर वाईटनर लगाकर उसकी जगह अप्रार्थी संख्या 1 (एक) का नाम लिखकर उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को जारी कर दिया है। इस प्रकार, उक्त पट्टे को जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में ही अवैधता है। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को उक्त पट्टा बाजार दर पर जारी करना दर्शाते हुए रुपये 27,120/- (अक्षरे सत्ताईस हजार एक सौ बीस रुपये) की राशि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से प्राप्त करना जाहिर किया है, जबकि इस भूमि का पट्टा जारी करते समय बाजार कीमत लगभग 51,500/- (अक्षरे इक्यावन हजार पाँच सौ रुपये) से अधिक थी परन्तु तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच द्वारा इस पट्टे की प्रक्रिया का नियम 154 के तहत अनुमोदन की प्रक्रिया से बचने के लिए इस भूमि की बाजार दर कम दर्शाकर राजस्व का भी नुकसान कारित किया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का मौका निरीक्षण नहीं किया गया था न ही किसी भी प्रकार के कोई नोटिस जारी किये गये हैं एवं विधि के अन्य आज्ञापक प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई तथा स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान भी लेखबद्ध नहीं किये गये हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा पारित संकल्प संख्या 4 दिनांक 20-12-2018 व इसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 05-12-2019 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि राजस्व ग्राम सिलदर के खसरा संख्या 1013 की आबादी भूमि आयी हुयी हैं, जो रिकॉर्ड अनुसार सही हैं। उक्त भूमि कदीम से आबादी भूमि मौके व रिकॉर्ड में दर्ज स्थित हैं, एवं उक्त आबादी भूमि पर गांव सिलदर के कई व्यक्तियों के आवासीय भूखण्ड स्थित हैं। उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 1206 के रूप में सड़क के मध्य से केवल 18 फीट की दूरी पर स्थित नहीं है व न ही नाले से सटी हुई है एवं न ही प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। ग्राम पंचायत, सिलदर ने अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के आवेदन पर पूर्ण जांच करके राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों व विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि अनुसार बाजार दर से राशि वसूल कर पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता एवं अविधिकता नहीं है तथा न ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन किया गया है। ऐसा कोई विधिक आज्ञापक प्रावधान नहीं है कि संकल्प से कितने दिनों में आज्ञापक रूप से पट्टा जारी करना होता है। ग्राम पंचायत का बैठक रजिस्टर प्रत्येक बैठक के दिन नियमित रूप से संधारित किया जाता है, तथा बैठक के दिन ही उपस्थित सभी सदस्यों के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव लिखकर बैठक पूर्ण होने के बाद हस्ताक्षर करवाये जाते हैं, जिससे बैक डेट में किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं लिखा गया है। पट्टा विलेख पर क्रेता के हस्ताक्षर नहीं होने से पट्टे में किसी प्रकार की कोई अविधिकता नहीं होती है, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने के बाद वह क्रेता की सम्पत्ति होकर क्रेता का कब्जा व स्वामित्व उसमें निहित हो जाता है। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा पूर्ण जांच कर नोटिस व इशतेहार जारी करके, वादग्रस्त स्थल की बाजार दर से राशि वसूल कर पट्टा जारी किया है, जिसमें कोई अवैधता नहीं है। प्रार्थी उपरोक्त प्रकरण में उक्त पट्टा से किसी प्रकार

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं, प्रार्थी को उपरोक्त निगरानी पेश करने का कोई कारण व आधार पैदा नहीं हुआ है, जिससे निगरानी आवेदन पेश करने में प्रार्थी का कोई Locus Standee नहीं है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा पंचायत संकल्प संख्या 04 दिनांक 20-12-2018 के अनुसरण में अप्रार्थी पीताराम पुत्र चेनाराम जी भील, निवासी- रोडाखेडा के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत क्षेत्रफल 150 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या 49 दिनांक 05-12-2019 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 में यह प्रावधान है कि "पंचायत किसी भी आबादी भूमि को जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत है और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती है, ऐसी आबादी भूमि उप-रजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर विक्रय या अन्तरित नहीं की जायेगी तथा किसी बाजार या वाणिज्यिक क्षेत्र में ऐसी बाजार कीमत निवासीय क्षेत्रों के लिये नियत कीमत की दुगुनी से कम नहीं होगी।"

इस संबंध में प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह कथन किया है कि "खसरा संख्या 1013 आबादी भूमि की चौड़ाई राजस्व रेकॉर्ड अनुसार 5 फीट से लेकर 25 फीट के बीच में है तथा ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को जिस भूमि का पट्टा जारी किया है वह भूमि खसरा संख्या 1206 के रूप में स्थित सड़क के मध्य से केवल 18 फीट की दूरी पर है और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 के उप नियम 2 के अनुसार गांव की सड़कों के मध्य रेखा से 50 फीट के मध्य स्थित भूमि का न तो ग्राम पंचायत पट्टा जारी कर सकती है और न ही इस क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य हेतु निर्माण स्वीकृति जारी कर सकती है।" जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के अधिवक्ता का यह कथन है कि "उक्त भूमि कदीम से आबादी भूमि मौके व रेकॉर्ड में दर्ज स्थित हैं, एवं उक्त आबादी भूमि पर गांव सिलदर के कई व्यक्तियों के आवासीय भूखण्ड स्थित हैं। उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 1206 के रूप में सड़क के मध्य से केवल 18 फीट की दूरी पर स्थित नहीं है व न ही नाले से सटी हुई है एवं न ही प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। ग्राम पंचायत, सिलदर ने अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के आवेदन पर पूर्ण जांच करके राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों व विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि अनुसार बाजार दर से राशि वसूल कर पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता एवं अविधिकता नहीं है तथा न ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन किया गया है।"

इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि ग्राम सिलदर, ग्राम पंचायत, सिलदर, पटवार हल्का सिलदर के खसरा संख्या 1013 की भूमि, आबादी भूमि है व खसरा संख्या 1206 की भूमि सड़क की भूमि है तथा खसरा संख्या 1014 की भूमि नाले की भूमि है। प्रकरण में ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह खसरा संख्या 1013 की आबादी भूमि में जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161(2)(घ) में यह प्रावधान है कि "पंचायत, अन्य जिला सड़कों और गांव सड़कों की मध्य रेखा से 50 (पचास फुट) सीमाओं में न तो किसी आबादी भूमि का विक्रय करेगी, न ही पक्का संनिर्माण अनुज्ञात करेगी।" इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध खसरा नक्शों एवं जमाबन्दी की ऑनलाईन प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरा संख्या 1013 की गै.मु. आबादी भूमि, ग्राम पंचायत सिलदर के नाम दर्ज है तथा उक्त

.....पेज पांच पर



Luks
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

खसरा संख्या 1206 सड़क की भूमि व खसरा संख्या 1014 नाला भूमि के बीच में खसरा संख्या 1013 गै.मु. आबादी भूमि स्थित है, जो खसरा संख्या 1206 की सड़क की भूमि से लगती हुई स्थित है।

पत्रावली पर उपलब्ध, ग्राम पंचायत सिलदर की प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में जिस आबादी भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है वह सड़क के मध्य से कितनी भूमि छोड़कर जारी किया गया है, इसका उल्लेख ग्राम पंचायत की मिसल में नहीं है, जबकि उक्त खसरा संख्या 1013 की गै.मु. आबादी भूमि, उक्त खसरा संख्या 1206 सड़क की भूमि के पास ही लगती हुई स्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध, श्री महिपालसिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही व श्री युगलकिशोर धाभाई, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के संयुक्त जांच प्रतिवेदन (जिसकी छाया प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है) में यह अंकित किया हुआ है कि "पट्टाधारकों द्वारा रोड सीमा में निर्माण किया गया है वह पट्टा भूमि से बाहर है।" इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, सिलदर ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 के उपनियम 2 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में सड़क के मध्य रेखा से 50 फीट के भीतर स्थित सड़क सीमा की भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुरूप नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध, उक्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के अर्न्तगत, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से डी.एल.सी. दर अनुसार राशि रुपये 27,120/- (अक्षरे रुपये सत्ताईस हजार एक सौ बीस मात्र) ही लिये गये हैं, जबकि मुख्य सड़क पर आवासीय दर की दुगुनी डी.एल.सी. राशि लेने का प्रावधान है एवं 150 वर्गफीट भूमि की राशि रुपये 52,416/- (अक्षरे रुपये बावन हजार चार सौ सोलह मात्र) बनती है जिसमें पट्टाधारक से राशि रुपये 25296/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार दो सौ छियानवे मात्र) कम ली गई है तथा 50,000/- (पचास हजार) रुपये से अधिक राशि के विक्रय के अनुमोदन का क्षेत्राधिकार पंचायत समिति की साधारण सभा को है। इससे यह भी स्पष्ट साबित होता है कि ग्राम पंचायत, सिलदर ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 154 के अर्न्तगत सक्षम स्तर से विक्रय के पुष्टि (अनुमोदन) से बचने के लिये, अप्रार्थी संख्या 1(एक) से कम राशि प्राप्त कर उक्त पट्टा जारी किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी पीताराम के हक में जारी पट्टा निरस्त योग्य है।

आदेश

अतः हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी पीताराम पुत्र चेनाराम जी भील, निवासी- रोडाखेडा के पक्ष में पारित संकल्प संख्या 4 दिनांक 20-12-2018 एवं इसके अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत अप्रार्थी पीताराम पुत्र चेनाराम जी भील, निवासी- रोडाखेडा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 05-12-2019 को निरस्त किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04 फरवरी, 2026 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही